न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 10/2017

वादी — बनाम — प्रतिवादी

लिछमणसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत निवासी मालगांव हाल भदाणा तहसील व जिला नागौर।

1. तिलसिंह पुत्र बलवन्तसिंह
2. बाया पुत्री मोहब्बतसिंह जातियान राजपूत निवासी मालगांव
3. जगदीश पुत्र मोहनराज जाति प्रजापत निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वाद वास्ते घोषणा खातेदारी, बंटवाड़ा खेताय
रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :- 27-6-17

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त का खेत खसरा नम्बर 498 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा वाके सरहद मौजा मालगांव तहसील नागौर में स्थित है, नकल खतौनी साथ पेश है।

यह है कि, इस खेत का खाता पहले गायड़सिंह, मोहनसिंह, चतरसिंह, तिलोकसिंह, मोहब्बतसिंह, सोहनसिंह, हरिसिंह, लिछूसिंह पिसरान बच्चनसिंह 1/2, तिलसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत 1/4 हिस्सा, चतराराम पुत्र दुर्गाराम कुम्हार 1/4 हिस्सा था। इस प्रकार इस खेत में बच्चनसिंह व मोहब्बतसिंह के वारिसान का 1/2 हिस्सा (रकबा 20 बीघा 6 बिस्वा) था जो इनके कब्जे काश्त का था, मोहब्बतसिंह व हरिसिंह का स्वर्गवास हो गया। हरिसिंह के 6 भाई व तीन बहिने व भाई मोहब्बतसिंह की पत्नी, पुत्र व पुत्री विधिक उतराधिकारी हुऐ एवं मोहब्बतसिंह के उनकी पत्नी, पुत्र व पुत्री विधिक उतराधिकारी हुऐ और पक्षकारान के मध्य खून का रिश्ता होने से गायड़सिंह, चतरसिंह, मोहनसिंह, तिलसिंह, सोहनसिंह पुत्रगण सरजुकंवर, राजूकंवर, उच्छबकंवर पुत्रियां बच्चनसिंह, नेनकंवर पत्नी मोहब्बतसिंह, सुमेरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह ने अपना निहित हिस्सा वादी लिछमणसिंह पुत्र बच्चनसिंह के हक में तर्क कर उसका हक त्यागनामा दिनांक 17.09.2012 को उप पंजीयक कार्यालय नागौर में पंजीयन करवा दिया व मोहब्बतसिंह की पुत्री प्रतिवादी बाया ने अपना हिस्सा तर्क नही किया, खतौनी में सहखातेदार है जिसे प्रतिवादी बनाया गया है। इस प्रकार इस खसरा नम्बर 498 के खतौनी में दर्ज अनुसार वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 सहखातेदार हुऐ रहे व है तथा 1/2 हिस्से के तमाम सहखातेदार बाया को छोड़कर अन्य ने वादी के हक में तर्कनामा कर दिया है जिससे उक्त खसरे के 1/2 भाग के रकबे में से रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा का काबिज खातेदार वादी व 19 बिस्वा रकबा की खातेदारी प्रतिवादी बाया है तथा रकबे मे से शेष 1/4 हिस्सा यानि रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा का काबिज खातेदार तिलसिंह का व 1/4 हिस्सा 10 बीघा 3 बिस्वा का काबिज खातेदार जगदीश का है। चूंकि पक्षकारान के मध्य उक्त भूमि का मौखिक

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर।

लिछमणसिंह बनाम तिलसिंह
राजस्व वाद संख्या 10/2017

बंटवाडा आपसी सहमति से होकर अलग–अलग काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है मगर भौतिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स होकर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही हुआ, इसलिए वादी को घोषणा खातेदारी, बंटवाडा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वादी की प्रार्थना है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से पारित की जावे।

यह है कि, वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 498 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा वाके सरहद मौजा मालगांव तहसील नागौर का वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार रकबा 19.7 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी के बंट कब्जे काश्त खातेदारी का व उसके चिपता ही उतर–दक्षिणी लम्बाई में 19 बिस्वा प्रतिवादी बाया के बंट कब्जा काश्त खातेदारी का, पश्चिमी तरफ के हिस्से में से 1/4 हिस्सा दक्षिणी तरफ का रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी तिलसिंह के बंट कब्जे काश्त खातेदारी का व उतरी तरफ का 1/4 हिस्सा रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा प्रतिवादी जगदीश के बंट कब्जा काश्त खातेदारी का घोषित किया जावे।

यह है कि, माफिक बंटवाडा व घोषणा खातेदारी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को तहरीर जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कियागया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 की तरफ से जवाब दावा प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि वादी का वाद डिकी किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को कोई आपत्ति नही हैं प्रतिवादी संख्या 2 व 4 का सम्मन जरिये रजिस्ट्री से भिजवाया गया था। फिर भी निश्चित समय पर तारीख पेशी पर उपस्थित नही होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

पत्रावली न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र चूंटिसरा मे दिनांक 27.6.2017 को पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 उपस्थित। पक्षकारो को मजमेआम मे सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिकी किया जाता है।

वादग्रस्त खसरा नं. 498 रकबा 40.12 बीघा मौजा मालगांव तहसील नागौर 19.07 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी के तन्हाबंट कब्जे काश्त व खातेदारी का व उसके चिपता ही उत्तर दक्षिणी लम्बाई मे 19 बिस्वा प्रतिवादी बाया के बंट कब्जा काश्त मे तथा पश्चिमी तरफ के हिस्से मे से 1/4 हिस्सा दक्षिणी तरफ का रकबा 10.03 बीघा प्रतिवादी तिलसिंह के बंट मे कब्जा काश्त मे व उत्तरी तरफ का 1/4 हिस्सा रकबा 10.03 बीघा प्रतिवादी जगदीश के तन्हाबंट के कब्जा काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है। इसी अनुसार डिकी पर्चा जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

निर्णय आज दिनांक 27.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमेआम मे सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :–

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर
इजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
लिछमणसिंह पुत्र बचनसिंह जाति राजपूत निवासी मालगांव हाल भदाणा तहसील व जिला नागौर।		1. तिलसिंह पुत्र बलवन्तसिंह 2. बाया पुत्री मोहब्बतसिंह जातियान राजपूत निवासी मालगांव 3. जगदीश पुत्र मोहनराज जाति प्रजापत निवासी भदाणा तहसील व जिला नागौर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

राजस्व वाद 10/2017 सन 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी...मिनजानिब मुद्दई व ....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि खसरा नं. 498 रकबा 40.12 बीघा मौजा मालगांव तहसील नागौर 19.07 बीघा पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी के तन्हाबंट कब्जे काश्त व खातेदारी का व उसके चिपता ही उत्तर दक्षिणी लम्बाई मे 19 बिस्वा प्रतिवादी बाया के बंट कब्जा काश्त मे तथा पश्चिमी तरफ के हिस्से मे से 1/4 हिस्सा दक्षिणी तरफ का रकबा 10.03 बीघा प्रतिवादी तिलसिंह के बंट मे कब्जा काश्त मे व उत्तरी तरफ का 1/4 हिस्सा रकबा 10.03 बीघा प्रतिवादी जगदीश के तन्हाबंट के कब्जा काश्त व खातेदारी के घोषित किये जाते है।

दस्तखत.......सहायक कलक्टर
ओंहदा.......(SDO) नागौर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्ज़ी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		